राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1300/2013

रामदेव शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.08.2013
आदेश की दिनांक : 01.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत के पद पर उसी तिथी से पदोन्नति प्रदान की जावे जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी और उसे राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, झालडा पंचायत समिति आसींद पदस्थापित किया गया। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 13.08.2009 के द्वारा अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, परंतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। विभाग द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची अध्यापक ग्रेड तृतीय की दिनांक

25.10.2012 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 360 पर अंकित किया गया। परंतु अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, जो नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी ने विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष उक्त मामले के संबंध में अनुरोध भी किया, परंतु कोई विचार नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत के पद पर उसी तिथी से पदोन्नति प्रदान की जावे जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि आदेश दिनांक 10.06.2008 द्वारा जारी अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत पद पर पदोन्नति हेतु अध्यापक ग्रेड तृतीय संस्कृत पद पर 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय शास्त्रीय/संस्कृत माध्यम से समतुल्य पारस्परिक संस्कृत परीक्षा और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा शास्त्री/शिक्षा में डिग्री होना अनिवार्य है। अपीलार्थी उपरोक्तानुसार निर्धारित योग्यता धारित नहीं है। इस कारण उसे पदोन्नति नहीं दी जा सकती। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी और उसे राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, झालडा पंचायत समिति आसींद पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 13.08.2009 के द्वारा अध्यापक ग्रेड द्वितीय के

पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, परंतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत के पद पर पदोन्नत नहीं किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति, राजकीय अधिवक्ता के तर्कों एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)